फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/अदानी –जयपुर (एजेआईएएल)/2021-22

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 20 जून, 2022

सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2022-23

विषय: गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल), जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल) और टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने के संबंध में

ऐरा वर्तमान में उपर्युक्त तीन हवाईअड्डों के लिए टैरिफ निर्धारित करने और तृतीय नियंत्रण अवधि के प्रारंभ होने संबंधी मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा बोली प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद इन हवाईअड्डों का प्रचालन, प्रबंधन और विकास कार्य मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपे जाने के परिप्रेक्ष्य में है। इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं:

(i) ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 1(ए) के अनुसार ऐरा प्रमुख हवाईअड्डों की वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। वैमानिक प्रभार ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और समय-समय पर टैरिफ संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक हवाईअड्डे के लिए अलग-अलग पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित की जाती है।

(ii) तदनुसार ऐरा ने लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डों के लिए 01.04.2016 से 31.03.2021 तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित कर दी है। इन हवाईअड्डों के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण 01.04.2021 से किया जाना है।

(iii) इसके बाद भारत सरकार/एएआई ने आवश्यक निवेश का उपयोग करने के अतिरिक्त सेवा प्रदान करने, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिकता में कार्यक्षमता लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर इन हवाईअड्डों का प्रचालन, प्रबंधन और विकास करने के लिए बोलियां आमंत्रित की। परिणामस्वरूप मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इन हवाईअड्डों के प्रचालन, अनुरक्षण और विकास का कार्य लिया है तथा बोली प्रक्रिया की अपेक्षा के अनुसार इसे विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) बनाया गया है।

(iv) एएआई और मंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अमहदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और त्रिवेन्द्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नामक इन छ: (6) हवाईअड्डों के बीच तीन-तीन हवाईअड्डों के दो बैच में रियायत करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इन सभी हवाईअड्डों का प्रचालन एएआई द्वारा निम्नानुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख "(सीओडी)" को रियायतग्राही को सौंप दिया गया:

(क) **मंगलुरू, लखनऊ और अहमदाबाद**

हवाईअड्डा	**एसपीवी (एओ)**	**करार पर हस्ताक्षर करना**	**वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी)**
मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरू	मंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल)	14.02.2020	31.10.2020
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ	लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल)	14.02.2020	02.11.2020
सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद	अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल)	14.02.2020	07.11.2020

(ख) **गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेन्द्रम:**

हवाईअड्डा	**एसपीवी (एओ)**	**करार पर हस्ताक्षर करना**	**वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी)**
लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	19.01.2021	08.10.2021
जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	19.01.2021	11.10.2021
त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, त्रिवेन्द्रम	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल)	19.01.2021	14.10.2021

2. रियायत करार (एएआई और हवाईअड्डा प्रचालक के बीच हस्ताक्षरित) के खंड 28.11.1 में यह प्रावधान है :

"रियायतग्राही अगली लागू नियंत्रण अवधि के लिए लागू विनियामक व्यवस्था के अनुसार विनियामक द्वारा वैमानिक प्रभारों का संशोधन करने की मांग करेगा।"

उपर्युक्त के बावजूद रियायतग्राही के पास वैमानिक प्रभारों के ऐसे संशोधन की मांग करने के लिए सीओडी से कम से कम 365 (तीन सौ पैंसठ) दिन होंगे।

3. तात्कालिक मामले का विश्लेषण करने के दौरान प्राधिकरण को गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए टैरिफ निर्धारित करने में निम्नलिखित चुनौतियां और उलझन हो रही है, इन हवाईअड्डों के लिए सीओडी अक्तूबर, 2021 थी:

(i) इन तीनों हवाईअड्डों के लिए करार पर जनवरी, 2021 में हस्ताक्षर किए गए और उपर्युक्त पैरा 1 में बताए अनुसार हवाईअड्डे प्रचालन के लिए अक्तूबर, 2021 में नए हवाईअड्डा प्रचालक को सौंपे गए। इस प्रकार प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख को अगली नियंत्रण अवधि (तृतीय नियंत्रण अवधि) प्रारंभ होने की अवधि के सात (07) माह पहले ही बीत चुके थे।

(ii) पैरा 2 में उल्लेख किए अनुसार रियायत करार हवाईअड्डा प्रचालक को वैमानिक प्रभारों में संशोधन की मांग करने के लिए सीओडी से कम से कम 365 (तीन सौ पैंसठ) दिन प्रदान करता है। इस स्थिति में एमवाईटीपी कैलेंडर वर्ष 2022 की अंतिम तिमाही तक उपलब्ध कर दिया जाएगा, जो तृतीय नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने के 20 (बीस) माह व्यतीत होने पर होगी।

(iii) प्राधिकरण को मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से इन तीन (03) हवाईअड्डो अर्थात गुवाहाटी, जयपुर तथा त्रिवेन्द्रम के संबंध में नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र भी प्राप्त हुआ है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने यह लिखा है कि इन तीन (03) हवाईअड्डों के मास्टर प्लान तैयार किए जाने के कारण ऐरा द्वारा टैरिफ निर्धारित करने की आगे की कार्रवाई करने के लिए एमवाईटीपी संभवत: सितम्बर-अक्तूबर, 2022 तक प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक से एमवाईटीपी प्राप्त होने पर ऐरा द्वारा एमवाईटीपी का विस्तृत विश्लेषण करने, परामर्श प्रक्रिया पूर्ण करने तथा टैरिफ आदेश जारी करने में और आठ–नौ महीने लग जाएंगे। इस प्रकार आदेश संभवत: जुलाई-अगस्त, 2023 तक जारी किया जाएगा। तब तक आधी नियंत्रण अवधि समाप्त हो जाएगी और शेष कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) की वसूली के लिए मात्र ढाई 2½ वर्ष बचेगें। इसके परिणामस्वरूप टैरिफ दरों में अत्यधिक वृद्धि होने से सभी हितधारकों और हवाईअड्डा प्रयोक्ताओं को नुकसान होगा।

(v) अन्य तीन (03) हवाईअड्डों, अर्थात, मंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अमहदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मामले में समान बोली प्रक्रिया अपनाई गई है और ऐरा द्वारा मूल टैरिफ आवर्तन पर स्थिर रहना संभव था, क्योंकि प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख अक्तूबर/नवम्बर, 2020 में थीं।

(vi) उपर्युक्त स्थिति के संबंध में यदि गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डों के संबंध में 01.04.2021 से 31.03.2026 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि एक (01) वर्ष आगे बढाई जाए अर्थात 01.04.2022 से 31.03.2027 कर दी जाए तो निम्नलिखित प्रकार से लाभ हो सकता है:

(**क**) शेष एआरआर वसूली के लिए लगभग 3 ½ वर्ष शेष रहते हैं और तदनुसार टैरिफ दरें संतुलित रहती है।

(**ख**) इससे के एक नियंत्रण अवधि में छ: (06) हवाईअड्डों के लिए एक साथ टैरिफ निर्धारित करने से भी बचा जा सकेगा और चतुर्थ नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने के एक वर्ष के अंतराल पर तीन-तीन हवाईअड्डों के दो समूह में इस अवधि को विभाजित कर दिया जाएगा। इससे ऐरा को टैरिफ निर्धारित करने के कार्य में और हवाईअड्डा प्रचालक सहित सभी हितधारकों को तथा हवाईअड्डा प्रयोक्ताओं को भी एक वर्ष में टैरिफ निर्धारित करने के कार्यभार को कम करने की मदद मिलेगी।

(vii) यह निर्णय बायल बनाम ऐरा के मामले में ऐरा की अपील संख्या 01/2014, 03/2014 और 08/2018 में माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 16.12.2020 के निर्णय के अनुपालन में भी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की गई है कि टैरिफ आदेश समय पर जारी किए जाएं ताकि उस समग्र अवधि में वसूली का भार न रहे जिसके लिए आदेश पारित किया गया है।

4. तदनुसार पूर्वोवर्ती पैराओं में स्पष्ट की गई इस स्थिति, कि इन तीन हवाईअड्डों के मामले में ऐरा को मूल टैरिफ दर बनाए रखने में कठिनाई हो रही है, रियायत करारों और हवाईअड्डा प्रचालक से प्राप्त अनुरोध को देखते हुए प्राधिकरण निम्नलिखित निर्णय लेता है:

(i) गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डों के लिए नियंत्रण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2026 के स्थान पर 01.04.2022 से 31.03.2027 तक करना। नियंत्रण अवधि की अवधि केवल पांच (05) वर्ष होगी।

(ii) ऐरा की नीति के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय 01.04.2021 से 31.03.2022 के लिए ट्रूअप को मानना।

(iii) गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डों के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले परामर्श पत्र में इस मुद्दे को उपयुक्त ढंग से प्रकाश मे लाया जाएगा।

(iv) ऐरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पांच (05) वर्ष की नियंत्रण अवधि तय करते समय टैरिफ अवधि प्रारंभ होने का समय एक (01) वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय ऊपर स्पष्ट किए अनुसार अपवादस्वरूप परिस्थितियों में लिया जा रहा है।

(v) उपर्युक्त तथ्य सभी हितधारकों (गुवाहाटी, जयपुर और त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डों के हवाईअड्डा प्रचालकों सहित) की जानकारी के लिए है।

ह/-

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)